

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

0 नं०:- 109/2024

तारीखरजु:- 3/9/24

उनवान:- शारदा वनाम चन्द्र शेखर
दावा बावत बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
3 9 24	<p>वादी की ओर से श्री विष्णु कंटक एडवोकेट ने दावा बावत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।</p> <p>(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p>	<p>5096-6007 3/9/24</p>
7 10 24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित वादी वकील ने कांटेबिल पट डल्ला डारु रखी होया नोटिस प्रेस में स्वारेज कले का कअब किया। पश्चात्कारण के मन्जूर राजीनामा हो गया है। इससे वादपत्र को स्वारेज किया जाये। पत्रावली नोटिस में स्वारेज की गली है। पत्रावली बुकार ड्रेकट नम्बर से कम कर डालिये ड्रेकट है।</p>	<p>Notpress V. Kaudale. Ad.</p>

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

